संख्या-114/2017/1732/26-3-2017-3(3)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 18 जुलाई, 2017

विषयः- समाचार पत्र के दिनांक-06.01.2017 को प्रकाशित होने वाले संस्करण में समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के प्रचार-प्रसार व कार्यशाला का विज्ञापन प्रकाशनोपरांत व्यय के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1612/स0क0/शिक्षा-अ/3/6/2017-18, दिनांक-20.06.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान संख्या-83 के विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजना में प्राविधानित अंतरिम आय-व्ययक धनराशि रूपया-400.00 लाख के सापेक्ष प्रथम 05 माह हेतु स्वीकृत धनराशि में से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के प्रचार-प्रसार हेतु 03 समाचार पत्रों (दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला) में विज्ञापन पर होने वाला व्यय रूपया-378774.00 (रूपये तीन लाख अठ्हत्तर हजार सात सौ चैहत्तर मात्र) की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-110/2017/1731/26-3-2017-3(3)/2016, दिनांक-10.07.2017 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान संख्या-83 के विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजना में प्राविधानित अंतरिम आय-व्ययक धनराशि रूपया-400.00 लाख के सापेक्ष प्रथम 05 माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु स्वीकृत लेखानुदान धनराशि रूपया-166.66 लाख निदेशक, समाज कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान संख्या-83 के विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजना में प्राविधानित अंतरिम आय-व्ययक धनराशि रूपया-400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम 05 माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु स्वीकृत लेखानुदान धनराशि रूपया-166.66 लाख (रूपये एक करोड़ छाछठ लाख छाछठ हजार मात्र) में से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के प्रचार-प्रसार हेतु 03 समाचार पत्रों (दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला) में विज्ञापन पर होने वाला व्यय **रूपया-3,78,774/-(रूपये तीन लाख अठ्हत्तर हजार सात सौ चौहत्तर मात्र)** की प्रशासकीय स्वीकृति/अनुमति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों और सेवाओं पर व्यय के लिये न किया जाय।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के प्रचार-प्रसार हेतु 03 समाचार पत्रों (दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला) में विज्ञापन पर होने वाला व्यय पर ही खर्च किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने के पश्चात उपयोगित प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव।

संख्या-114/2017/1732/(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
5- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।